भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

13 JUL 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 681799

शपथ –पत्र

हम रिचा शुक्ला अध्यक्ष एवं मनीष शुक्ल सचिव माँ गोमती फाउंडेशन ट्रस्ट, ए1/51 बद्री आवास योजना, मेंहदौरी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट माँ गोमती फाउंडेशन ट्रस्ट, ए1/51 बद्री आवास योजना, मेंहदौरी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश माँ गोमती फार्मेसी कालेज नाम डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम माँ गोमती फाउंडेशन ट्रस्ट, ग्राम-भाव सिया कुण्डा प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश पिन कोड 230204 में गाटा संख्या 103मि0 एवं 115मि0 कुल रकबा 1.088 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 115मि0/0.506हे0 एवं 103मि0/0.582हे0 कुल रकबा 1.088 हेक्टेयर कुल रकबा 8100 वर्गमी0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 01/01/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि , इस संस्था में फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों मे प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान /विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो/आदेशो का भलीभांति पालन करूँगा । यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै उत्तरदायी होऊँगा ।

NOTARY
S.C. Mishra
Advocate
Reg. No. 3/2401
of U.P.

Manish Shukla
ह०सचिव
सचिव
माँ गोमती फाउण्डेशन
ए1/51 बद्री आवास योजना
मेंहदौरी, प्रयागराज

Richa
ह०अध्यक्ष
अध्यक्ष
माँ गोमती फाउण्डेशन
ए-1/51, बद्री आवास योजना
मेंहदौरी, प्रयागराज (उ०प्र०)